रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 628] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 21, 1971/अग्रहायण 30, 1893

No. 628] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 21, 1971/AGRAHAYANA 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

Nwe Delhi, the 19th December 1971

S.O. 5537.—In exercise of the powers conferred by section 40 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby directs that the rates of exchange for the sale and purchase of pound sterling, as quoted by the Reserve Bank of India on the 20th December, 1971 and 21st December, 1971, in terms of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, No. S.O. 3151 and No. S.O. 3152, dated the 22nd August, 1971, shall be deemed to be provisional and that the revised rates of exchange for the sale and purchase of pound sterling, as determined by the Reserve Bank of India, in the light of such further directions as may be issued by the Central Government in this behalf, shall be applicable to or in relation to the sale and purchase of pound sterling by the Reserve Bank of India on the 20th December, 1971, and the 21st December, 1971.

[No. F. 1/22/BP/71.]

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1971

का०आ० 5537.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश

देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की तारीख 22 अगस्त, 1971 की अधिसूचना सं० का० आ० 3151 और सं० का आ० 3152 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20 दिसम्बर, 1971 और 21 दिसम्बर, 1971 को पौण्ड स्टर्लिंग की बिक्री और खरीद के लिए बतायी गई विनियम दरें अन्तिम मानी जाएगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त आगे दिए जाने वाले निदेश को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली पौण्ड स्टर्लिंग की बिक्री और खरीद की तुरंतदेय विनिमय-दरें, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20 दिसम्बर, 1971 और 21 दिसम्बर, 1971 को पौण्ड स्टर्लिंग की बिक्री और खरीद को या उसके सम्बन्ध में लागू होंगी ।

[सं० फा० 1/22/बी० पी०/71]

New Delhi, the 20th December 1971

S.O. 5538.—In exercise of the powers conferred by section 40 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), and in supersession of the previous directions given in this behalf the Central Government hereby directs that the Reserve Bank of India shall sell to any authorised person who makes a demand in that behalf, at its office on Bombay, Calcutta, New Delhi or Madras or at its branch in Kanpur, Nagpur or Bangalore, the currency specified in column 2 of the Schedule hereto annexed for delivery at the place specified in column 3 of the said Schedule at the rate not below that specified in column 4 thereof.

SCHEDULE

S. No.	Currency	Place	Rate
1	2	3	4
1	Pound Sterling	London	£5·2721 per Rs. 100 with a margin not exceeding 2·25 per cent below this rate.

[No. F. 1/22/BP/71]

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1971

का० आ० 5538.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त इससे पूर्व दिए गए निदेशों को अधिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपने मुम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली या मद्रास स्थित कार्यालय में या कानपुर, नागपुर या बंगलौर स्थित अपनी शाखा में, उस निमित्त मांग करने वाले किसी प्राधिकृत व्यक्ति को, इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट करेंगी, उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट स्थान पर परिदान के लिए उस दर पर बेचेगा जो इस अनुसूची के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट दर से नीचे न हो ।

अनुसूची

क्रम सं०	करेंसी	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पौण्ड स्टर्लिंग	लन्दन	5.2721 पौण्ड स्टर्लिंग प्रति 100 रुपए, इस मार्जिन सहित, जो इस दर से नीचे 2.25 प्रतिशत से अधिक न होगा।

[सं० फा० 1/22/बी० पी०/71]

S.O. 5539.—In exercise of the powers conferred by section 40 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), and in supersession of the previous directions given in this behalf the Central Government hereby directs that the Reserve Bank of India shall buy from any authorised person who makes a demand in that behalf, at its office in Bombay, Calcutta, New Delhi or Madras or at its branch in Kanpur, Nagpur or Bangalore, the currency specified in column 2 of the Schedule hereto annexed for delivery at the place specified in column 3 of the said Schedule at the rate not above that specified in column 4 thereof:

Provided that no person shall be entitled to receive payment unless the Bank is satisfied that payment of the currency specified in column 2 of the Schedule at the place specified in column 3 thereof has been made.

SCHEDULE

S. No.	Currency	Place	Rate
1	2	3	4
1	Pound Sterling	London	£5·2721 per Rs. 100 with a margin not exceeding 2·25 per cent above this rate.

[No. F. 1/22/BP/71.]

I. G. PATEL, Secy.

का० आ० 5539.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त इससे पूर्व दिए गए निदेशों को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपने मुम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली या मद्रास स्थित कार्यालय में या कानपुर, नागपुर या बंगलौर स्थित अपनी शाखा में उस निमित्त मांग करने वाले किसी प्राधिकृत व्यक्ति से, इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट करेंसी, उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट स्थान पर परिदान के लिए, उस दर पर खरीदेगा जो उसके स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट दर से ऊपर न हो :

परन्तु कोई भी व्यक्ति तब तक संदाय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि बैंक का यह समाधान न हो जाए कि अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट करेंसी का संदाय उसके स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट स्थान पर किया गया है ।

अनुसूची

क्रम सं०	करेंसी	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पौण्ड स्टर्लिंग	लन्दन	5.272 पौण्ड स्टर्लिंग प्रति 100 रुपए, ऐसे मार्जिन सहित, जो इस दर से ऊपर 2.25 प्रतिशत से अधिक न होगा ।

[सं० फा० 1/22/बी० पी०/71]

आई० जी० पटेल, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971